

9
08/10/21

Form No-|||

अज अदालत फर्द अहकाम (नियम 26)
उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

अभिलेख क्र. 6 LPM बनाम सरकार
विरम मुकदमा 136 एल आर एक्ट नम्बर 49 सन् 2021
जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
8/10/2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सनेला</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.पा.सं.अ./2021/..... दिनांक <u>8/10/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>6/8 LPM</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>6 LPM</u> की जमाबंदी सम्बन्ध <u>2025-2028</u> के खाता सं. <u>5</u> में <u>अभिलेख क्र. 6/8</u> <u>अभिलेख क्र. 6/8</u> के स्थान पर <u>अभिलेख क्र. 6/8</u> <u>अभिलेख क्र. 6/8</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>सनेला</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>6 LPM</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बन्ध <u>2025-2028</u> के खाता सं. <u>5</u> में <u>अभिलेख क्र. 6/8</u> <u>अभिलेख क्र. 6/8</u> के स्थान पर <u>अभिलेख क्र. 6/8</u> <u>अभिलेख क्र. 6/8</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
हुक्म 6/8 LPM

